



(अनवान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

बीठसीन अधिकारी :- नयन गौतम आई.एस.
अनवान :- राजस्व वाद संख्या 143/2024

विनोद कुमार सचदेवा पुत्र श्री देवाराज सचदेवा जाति अरोड़ा उम्र 70 वर्ष निवासी
मकान नम्बर 19, बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर

—वादी

बनाम

1. चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी पैगोडा रिसॉर्ट के सामने नजदीक बाईपास, पदमपुर रोड़, चक 6 ए छोटी, श्रीगंगानगर
2. जयपाल सिंह पुत्र श्री बीकर सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी पैगोडा रिसॉर्ट के सामने नजदीक बाईपास, पदमपुर रोड़, चक 6 ए छोटी, श्रीगंगानगर
3. कुलविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह पत्नी हरबन्स सिंह जाति रामगढ़ियासिख निवासी वार्ड न. 13, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. दर्शन सिंह पुत्र श्री बीकर सिंह
5. मेजर सिंह पुत्र श्री बीकरसिंह
6. मनिन्द्रकौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह
7. रणजीत कौर पत्नी श्री गुरदेव सिंह
8. सरजीत कौर पत्नी बीकर सिंह
9. वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह
10. जसप्रीत कौर पत्नी बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी पैगौडा रिसोर्ट, गुरुद्वारा नानक देव, चक 7 ए छोटी फस्ट
11. सुखदर्शन सिंह पुत्र श्री मोता सिंह जाति जटसिख निवासी पैगौडा रिसोर्ट, गुरुद्वारा नानक देव, चक 7 ए छोटी फस्ट
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जाति रामगढ़िया सिख निवासीयान पैगोडा सामने,
रिसॉर्ट के नजदीक बाईपास, पदमपुर रोड़,
चक 6 ए छोटी पोस्ट ऑफिस साहूवाला तह.
व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

—: उपस्थित अभिभाषकगण :-

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. श्री ऋषिपाल जोशी | वादी |
| 2. श्री धर्मेन्द्र शर्मा | प्रतिवादी संख्या 11 |
| 3. प्रतिवादी संख्या 2 | स्वयं उपस्थित। |
| 4. पैरोकार राज श्रीगंगानगर | प्रतिवादी संख्या 12 |


उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर



14167-91236



(अनवान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या - 143/2024)

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 13.09.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी का रजिस्टर्ड पंजीकृत पता व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार वाद पत्र के शीर्षक में सही अंकित किया गया है। वाद दो प्रतियों में मय शपथ पत्र पेश है। चक 7 ए छोटी 1st पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 16/1(0.051 है), 16/2(0.025 है. खाला), 24(0.114 है.), 25/1(0.228 है.), 25/2(0.025 है. खाला) कुल 0.443 है. [0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि में से वादी विनोद कुमार सचदेवा पुत्र देसराज सचदेवा के नाम 98/443 हिस्सा यानि 0.098 है., प्रतिवादी संख्या 1 चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है., प्रतिवादी संख्या 2 जयपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.02475 है., प्रतिवादी संख्या 3 कुलविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.012375 है., प्रतिवादी संख्या 4 दर्शन सिंह पुत्र बीकर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.02475 है., प्रतिवादी संख्या 5 भेजर सिंह पुत्र बीकर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.02475 है., प्रतिवादी संख्या 6 मनिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है., प्रतिवादी संख्या 7 चरणजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है., प्रतिवादी संख्या 8 चरणजीत कौर पत्नी बीकर सिंह के नाम 29/443 है. यानि 0.041375 है., प्रतिवादी संख्या 9 वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है., प्रतिवादी संख्या 10 जसप्रीत कौर पत्नी बलवीर सिंह के नाम 99/443 है. यानि 0.099 है., प्रतिवादी संख्या 11 सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह के नाम 98/443 हिस्सा यानि 0.098 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 चक 7 ए छोटी 1st पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर की कुल 0.443 है. [0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि के वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अनुसार जमाबन्दी मुताबिक खातेदार सहकाशतकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने अपनी काशत में सहूलियत के लिए अपने नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारस्परिक मौखिक सहमति से किए गए बंटवारा अनुसार वादी विनोद कुमार सचदेवा पुत्र श्री देसराज सचदेवा जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 19, बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राजस्थान) को चक 7 ए छोटी 1st पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर की कुल 0.443 है. [0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का निम्न प्रकार बंटवारा किया हुआ है :-

बंटवारा अनुसार प्राप्तकर्ता	रकबा	रकबा का विवरण
विनोद कुमार सचदेवा पुत्र श्री देसराज सचदेवा जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 19, बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 7 ए छोटी 1 st पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है. [0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी	


Chaudhary
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



(अनवान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

	<p>मुताबिक में से किला नम्बर 16/1 की 0.031 है. नहरी उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, किला नम्बर 24 की 0.026 है. नहरी उत्तरी पूर्वी हिस्सा, किला नम्बर 25/1 की 0.041 है. नहरी उत्तरी पश्चिमी हिस्सा कुल 0.098 है. नहरी कृषि भूमि</p>
<p>चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 0.005 है., जयपाल सिंह पुत्र वीकर सिंह 0.02475 है., कुलविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह 0.012375 है., दर्शन सिंह पुत्र वीकर सिंह 0.02475 है., मेजर सिंह पुत्र वीकर सिंह 0.02475 है., मनिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 है., रणजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.005 है., सरजीत कौर पत्नी वीकर सिंह 0.041375 है., वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 है., जाति रामगढ़ियासिख निवासीयान चक 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जसप्रीत कौर पत्नी बलवीर सिंह 0.099 है. सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह 0.098 है. जाति जटसिख निवासीयान चक 7 ए छोटी 1st तहसील व जिला श्रीगंगानगर</p>	<p>चक 7 ए छोटी 1st पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है. {0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 16/1(0.020 है. पूर्वी हिस्सा), 16/2(0.025 है. खाला), 24(0.088 है. दक्षिणी हिस्सा हिस्सा), 25/1(0.187 है. दक्षिणी पूर्वी हिस्सा), 25/2(0.025 है. खाला) कुल 0.345 है. {0.295 है. नहरी + 0.050 है. खाला}</p>

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 उक्त वर्णित अनुसार कृषि भूमि के काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्सा की काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 पारस्परिक सहमति से मौखिक विभाजन अनुसार किए गए बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के विगत कई वर्षों से काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 उक्त बंटवारा एवम् कब्जा काश्त को नजर अन्दाज करके मनमाना रवैया अपना कर उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने एवं भूमि का बिना कोई सपरिवर्तन करवाये अकृषि कार्यों में उपयोग करने की फिराक में है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हुए तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वादी द्वारा अपनी काश्त हेतु बनाई गई आवश्यक सुविधाओं से भी वादी वंचित हो जायेगा। इस बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को प्राप्त हुई भूमि का विभाजन किया जाकर यानि अलग अलग लगान कायम करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त पारस्परिक सहमति अनुसार किए गए बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादी को प्राप्त हुई कृषि भूमि वादी के नाम से अलग से दर्ज ना होने के कारण, वादी को राजस्व/लगान अदा करने व अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने में बाधा कारित हो रही है इसलिए वादी अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को, अपने नाम अलग से दर्ज करवाने व राजस्व/लगान अलग से कायम करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को सहमत होकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु दिनांक 13/8/2024 को कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल हो


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



(अनवान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

यही विनाय मुख्यास्मत है तथा वादी के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि चक 7 ए छोटी 1st पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है. [0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 16/1 की 0.031 है. नहरी उतरी पश्चिमी हिस्सा, किला नम्बर 24 की 0.026 है. नहरी उतरी पूर्वी हिस्सा, किला नम्बर 25/1 की 0.041 है. नहरी उतरी पश्चिमी हिस्सा कुल 0.098 है. नहरी कृषि भूमि का वादी विनोद कुमार सचदेवा पुत्र श्री देसराज सचदेवा जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 19, बी ब्लॉक, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राजस्थान) के नाम से अलग लगान कायम किया जावे एवं शेष चक 7 ए छोटी 1st पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है. [0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 16/1 (0.020 है पूर्वी हिस्सा), 16/2 (0.025 है. खाला), 24 (0.088 है. दक्षिणी हिस्सा हिस्सा), 25/1 (0.187 है. दक्षिणी पूर्वी हिस्सा), 25/2 (0.025 है. खाला) कुल 0.345 है. [0.295 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि का चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 0.005 है., जयपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 है., कुलविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह 0.012375 है., दर्शन सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 है., मेजर सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 है., मनिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 है., रणजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.005 है., सरजीत कौर पत्नी बीकर सिंह 0.041375 है., वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 है., जाति रामगढ़ियासिख निवासीयान चक 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जसप्रीत कौर पत्नी बलवीर सिंह 0.099 है. सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह 0.098 है. जाति जटसिख निवासीयान चक 7 ए छोटी 1st तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से अलग लगान कायम किया जावे।
(ख) उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।
(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा जिससे प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थयी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है। (0.393 है नहरी + 0.050 है खाला) कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक कृषि भूमि होना स्वीकार है। कृषि भूमि किस दिशा में है यह अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 4 के तथ्य वादी ने दावा को कानूनी रूप से देने के लिए दर्ज किये है। वादी अपनी काश्त के किला नम्बर का अलग लगान कायम करवाकर व खाता अलग करवाकर भूमि अपनी योजना अनुसार करवाने का अधिकारी है जिसमें हर उत्तरदातागण असहमत है। जब तक कृषि भूमि

Chatur
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



(अनुमान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

की निशान देही पटवार द्वारा नहीं दि जाती पटवारी के निशान देही पर समस्त उतरदातागण सहमत है। लिहाजा जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थयी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है। (0.393 है नहरी + 0.050 है खाला) कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक विभाजन पटवारी द्वारा निशानदेही करवाकर स्वीकार किया जावे काश्तकार के अनुसार रिपोर्ट ली जाकर अन्य सभी उतरदातागण का भी अलग अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जावे।

प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी का रथाई पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम के अनुसार वाद पत्र के शीर्षक में सही अंकित किया गया है। चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073 2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थयी के संयुक्त खाता संख्या 29/3 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 16/1 (0.051 है), 16/(0.025 है, खाला) 24 (0.114 है), 25/1 (0.228 है), 25/2 (0.025 है खाला) कुल 0.443 है, (0.393 है नहरी 0.050 है खाला) कृषि भूमि में से वादी विनोद कुमार सचदेवा पुत्र देसराज सचदेवा के नाम 98/443 हिस्सा यानि 0.098 है प्रतिवादी संख्या 1 चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है, प्रतिवादी संख्या 2 जयपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.02475 है, प्रतिवादी संख्या 3 कुलविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.012375 है, प्रतिवादी संख्या 4 दर्शन सिंह पुत्र बीकर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.02475 है, प्रतिवादी संख्या 5 मेजर सिंह पुत्र बीकर सिंह के नाम 99/1772 हिस्सा यानि 0.02475 है, प्रतिवादी संख्या 6 मनिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है, प्रतिवादी संख्या 7 रणजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है, प्रतिवादी संख्या 8 सरजीत कौर पत्नी बीकर सिंह के नाम 29/443 है यानि 0.041375 है, प्रतिवादी संख्या 9 वीरपाल कौर पुत्र गुरदेव सिंह के नाम 5/443 हिस्सा यानि 0.005 है, प्रतिवादी संख्या 10 जसप्रीत कौर पत्नी बलवीर सिंह के नाम 99/443 है यानि 0.099 है, प्रतिवादी संख्या 11 सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह के नाम 98/443 हिस्सा यानि 0.098 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 11 चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर की कुल 0.443 है, (0.393 है नहरी + 0.050 है खाला) कृषि भूमि के वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित जमाबन्दी मुताबिक खातेदार सहकाश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने अपनी काश्त में सहूलियत के लिए अपने नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारस्परिक मौखिक सहमति से किए गए बंटवारा अनुसार वादी विनोद कुमार सचदेवा पुत्र श्री देसराज सचदेवा जाति अरोड़ा निवासी मकान नम्बर 19, बी ब्लॉक श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर (राजस्थान) को चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर की कुल 0.443 है, (0.393 है नहरी + 0.050 है खाला) कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का निम्न प्रकार बंटवारा किया हुआ है :-

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह 0.098 है, जाति जटसिख निवासीयान चक 7 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट तहसील व जिला श्रीगंगानगर खतोनी)


Signature
उपखण्ड अधिकारी (राज)
श्रीगंगानगर



(अनवान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

	<p>अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थयी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरवा नम्बर 1 की कुल 0.443 हैक., (0.393 हैक.+ 0.050 हैक. खाला) कृषि भूमि जमाबंदी मुताबिक में से किला नम्बर 16/1 की 0.0510 हैक्टर नहरी किला 16/2(0.0250 खाला) व किला नम्बर 24 में 0.1140 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 25/1 की 0.02280 हैक. नहरी किला नं. 25/2 की 0.050 हैक्टर नहरी कुल 0.098 हैक्टर नहरी कृषि भूमि</p>
<p>चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 0.005 है., जयपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 हैक्टर, कुलविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह 0.012375 हैक., दर्शन सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 हैक्टर, मेजर सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 हैक्टर मनिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 हैक., रणजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.005 हैक्टर, सरजीत कौर पत्नी बीकर सिंह 0.041375 हैक्टर, वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 हैक., जाति रामगढिया सिख निवासीयान चक 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जसप्रीत कौर पत्नी बलवीर 0.099 हैक., सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह 0.098 हैक., जाति जट सिख निवासीयान चक 7 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर</p>	<p>चक 7 ए छोटी पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी(खेवट खतोनी) अंतिम चौसाला आधार संवत 2073-2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरवा नम्बर 1 की कुल 0.443 हैक.(0.393 हैक्टर+ 0.050 हैक खाल) कृषि भूमि जमाबंदी मुताबिक में से किला नम्बर 16/1(0.20 हैक, पूर्वी हिस्सा), 16/2(0.025 हैक, खाला), 24(0.088 हैक. दक्षिणी हिस्सा) 25/1 कृषि भूमि (0.187 हैक. दक्षिण पूर्वी हिस्सा), 25/2 (0.025 हैक. खाला) कुल 0.345 हैक. (0.295 हैक. नहरी + 0.050 हैक. खाला)</p>

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 उक्त वर्णित अनुसार कृषि भूमि के काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्सा की काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 पारस्परिक सहमति से मौखिक विभाजन अनुसार किए गए बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के विगत कई वर्षों से काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 उक्त बंटवारा एवम कब्जा काश्त को नजर अन्दाज करके मनमाना रवैया अपना कर उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने एवं भूमि का बिना कोई सपरिवर्तन करवाये अकृषि कार्यो में उपयोग करने की फीराक में है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हुए तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वादी द्वारा अपनी काश्त हेतु बनाई गई आवश्यक सुविधाओ से भी वंचित हो जाएगा। इस बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को प्राप्त हुई भूमि का विभाजन किया जाकर यानि अलग अलग लगान करके राजस्व रिर्डि में अमल दरावाया जाना जरूरी है। उक्त पारस्परिक सहमति अनुसार किए गए बंटवारा एवं काश्त अनुसार वादी को प्राप्त हुई कृषि भूमि वादी के नाम से अलग से दर्ज ना होने के कारण, वादी को राजस्व/लगान अदा करने व अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने में बाधा कारित हो रही है इसलिए वादी


उपखंड अधिकारी राजस्व
श्रीगंगानगर



(अनवान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को अपने नाम अलग से दर्ज करवाने व राजस्व/लगान अलग से कायम करने का अधिकारी है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को सहमत होकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु दिनांक 13.08.2024 को कहीं तो प्रतिवादीगण टालमटोल हो गये है, यही विनाय मुखास्मत है तथा वादी के पास उक्त वाद पेश के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2रू. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी वाद पत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थयी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुख्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है। (0.393 है नहरी + 0.050 है खाला) कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर किला नम्बर 16/1(0.0510 है) नहरी, किला नम्बर 16/2 की 0.0250 है, नहरी, किला नम्बर 25/1 की 0.02280 है, नहरी, किला नम्बर 25/2 की 0.050 है नहरी कुल 0.098 है, नहरी कृषि भूमि का वादी सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह जाति जटसिख निवासी रिसोर्ट, नजदीक गुरुद्वारा नानक देव, चक 7 ए छोटी फस्ट पोस्ट ऑफिस साहुवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के नाम से अलग लगान कायम किया जावे एवं शेष चक 7 ए छोटी 1 पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थयी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुख्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है। (0.393 है नहरी + 0.050 है खाला) कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर किला नम्बर नहरी, किला नम्बर 16/2 की 0.0250 है, नहरी, किला नम्बर 25/1 की 0.02280 है, नहरी, किला नम्बर 25/2 की 0.050 है नहरी कुल 0.098 है, कृषि भूमि चरणजी सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 0.005 है, जयपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 है, कुलविन्द्र कौर पुत्री जसवीर सिंह 0.012375 है, दर्शन सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 है, मेजर सिंह पुत्र बीकर सिंह 0.02475 है, मनिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 है, रणजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.005 है, सरजीत कौर पत्नी बीकर सिंह 0.041375 है, वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह 0.005 है, जाति रामगढ़ियरसिख निवासीयान चक 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जसप्रीत कौर पत्नी बलवीर 0.099 है, सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह 0.098 है, जाति जटसिख निवासीयान चक 7 ए छोटी 1 तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से अलग लगान कायम किया जावे।

(ख) उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम का जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार :-

प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा पेश किये गये काउन्टरक्लेम में मन वादी विनोद कुमार सचदेवा को अपने काउन्टरक्लेम में वादी के रूप में अपने साथ संयोजित किया है जो गलत एवं विधि विरुद्ध है मन वादी द्वारा अपना वाद पत्र अलग से दायर किया हुआ है इसलिए प्रतिवादी संख्या 11 सुखदर्शन सिंह को अपने काउन्टरक्लेम में मन वादी विनोद कुमार सचदेवा को काउन्टरक्लेमकर्ता के रूप में किया गया संयोजन काबिले निरस्ती है। काउन्टरक्लेम कर्ता/प्रतिवादी संख्या 11 ने मौखिक विभाजन अनुसार किए गए बंटवारा को स्वीकार करते हुए अपने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि के विगत कई वर्षों से काबिज काश्त होने के तथ्य को स्वीकार किया है लेकिन काउन्टरक्लेम में मन वादी विनोद कुमार सचदेवा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



(अनवान विनोद कुमार बनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

वाद पत्र में वर्णित किलाजात का जानबुझकर लोप किया गया है जिसके कारण काउन्टर क्लेम की मद संख्या 3 में वर्णित 0.443 है। कृषि भूमि के कुल योग का खाता से मिलान नहीं रहा है। लिहाजा जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि चक 7 ए छोटी पटवार हल्का साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/तोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 0.443 है। [0.393 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन स्वीकार किया जाकर अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 से 10 की तलबी करवाने जाने पर प्रतिवादीगण के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी एवं काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता वकील प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रकरण खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज है और रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर से जमाबन्दी अनुसार प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 चक 7 ए छोटी प्रथम, पटवार हल्का साहुवाला, भूअ.नि.क्षेत्र. बुर्जवाली, खाता संख्या 29/23 का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी है एवम् वादी एवं काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 11 भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वादी एवम् काउन्टरक्लेम प्रतिवादी संख्या 11 प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 143 दिनांक 31.07.2025 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर कर वाद का निर्णय मुताबिक प्रस्ताव राष्ट्रीय लोक अदालत में किये जाने का निवेदन किया गया।

॥ आदेश ॥

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवम् प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	विनोद कुमार सचदेवा पुत्र देसराज सचदेवा 98/443 जाति अरोडा मकान नं. 19 बी ब्लॉक श्रीगंगानगर खातेदार	चक 7 ए छोटी प्राथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नं. 1 के किला नं. 24 में 0.038 हैक्टेयर, किला नं. 25/1 में 0.056 हैक्टेयर, किला नं. 16/1 में 0.004 हैक्टेयर कुल 0.098 हैक्टेयर नहरी
2	सुखदर्शन सिंह पुत्र मोता सिंह 98/443	चक 7 ए छोटी प्राथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/23 के मुरब्बा नं. 1 के किला नं.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



(अनयान विनायद कुमार वनाम चरणजीत सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 143/2024)

जाति जट सिख सा. देह खातेदार	16/1 में 0.032 हैक्टर, किला नं. 25/1 में 0.066 हैक्टर, कुल 0.098 हैक्टर नहरी
कुलविन्द्र कौर पुत्री जसावीर सिंह हि. 0.012 हैक, चरणजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह हिस्सा 0.025 हैक्ट., चरणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह हिस्सा 0.005 हैक्टर, जयपाल पुत्र बीकर सिंह हिस्सा 0.0495 हैक्टर, दर्शन सिंह पुत्र बीकर सिंह हिस्सा 0.025 हैक्टर, परमिन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह हिस्सा 0.025 हैक्टर, मेजर सिंह पुत्र बीकर सिंह हिस्सा 0.0495 हैक्टर, मनिन्द्र कौर पुत्री गुरदेव सिंह हिस्सा 0.005 हैक्टर, रणजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह हिस्सा 0.005 हैक्टर, वीरपाल कौर पुत्री गुरदेव सिंह हिस्सा 0.005 हैक्टर, सरजीत कौर पत्नी बीकर सिंह हिस्सा 0.041 हैक्टर जाति रामगढिया सिख निवासी देह खातेदार	
मुरवा नमवर 1 किला नम्वर 16/1 में 0.015 हैक्टर, 16/2 में 0.025 हैक्टर खाला, 24 में 0.076 हैक्टर, 25/1 में 0.1060 हैक्टर, 25/2 में 0.025 हैक्टर कुल 0.247 हैक्टर नहरी मय खाला	

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग जमान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक आदालत दिनांक 13.09.2025 में सुनाया गया।

(नयन मीतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड विकास अधिकारी
श्रीगंगानगर